



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 425 राँची, शुक्रवार, 7 आषाढ़, 1946 (श०)
28 जून, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

15 मार्च, 2024

1) संख्या-03/पद०-01(ग)-04/2014 का0 2126--श्री बिनय कुमार मिश्र, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-14/20, गृह जिला औरंगाबाद), अपर समाहर्ता, साहेबगंज को अपर समाहर्ता, गोड्डा के पद पर पदस्थापन संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 1736 दिनांक 05.03.2024 को विलोपित किया जाता है ।

ii. उक्त अधिसूचना के विलोपन के फलस्वरूप श्री मिश्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे ।

2) संख्या-03/पद०-01(ग)-04/2014 का0 2127--कार्यपालक दण्डाधिकारी, धालभूम सदर (पूर्वी सिंहभूम) के पद पर पदस्थापित श्रीमती ब्रजलता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-200/20, गृह जिला पटना), को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्रीमती ब्रजलता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत खूँटी जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के अपर सचिव ।
